

तारीख
हुक्म

14-2-24

आज पीठलीन अधिकारी महोदय को
कार्य में तयस्त/अनन्य पर होने से
गत आदेश की पालना में पत्रावली
दिनांक 20-3-24 को प्रेषित है।

20-3-24

आज पीठलीन अधिकारी को आज
कार्य में तयस्त/अनन्य पर होने से
गत आदेश की पालना में पत्रावली
दिनांक 22-4-24 को प्रेषित है।

22-4-24

आज पीठलीन अधिकारी महोदय को
कार्य में तयस्त/अनन्य पर होने से
गत आदेश की पालना में पत्रावली
दिनांक 29-4-24 को प्रेषित है।

29-4-24

आधिकारिता प्रार्थी उपस्थित। आधिकारिता कर्तव्यी
है। एवं आधिकारिता कर्तव्यी है। उपस्थित।
आधिकारितागण कर्तव्यी है। व 11 द्वारा निवेदन
किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठलीन
आधिकारी न्यायालय उपखण्ड आधिकारी बांड़ी मुई
श्री श्रीरज कुमार मीना का स्थानांतरण हो चुका है
ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है।

आधिकारिता प्रार्थी द्वारा आधिकारितागण उपस्थित
है। व 11 द्वारा किये गये उक्त रुचन से सहमत
होना व्यक्त किया गया।

इसने उपस्थित आधिकारितागण उभयपक्ष की
बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का इकलौका
किया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण श्री श्रीरज
कुमार मीना न्यायालय कलमथर बांड़ी मुई के विरुद्ध
पेश किया गया है, जिनका स्थानांतरण हो चुका है।



इसलिये प्राचीन पत्र स्थानांतरण सारहीन
हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने
योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय
अजिंठा कलक्टर बाँदी मुई में विचाराधीन वाद नं
241/2017 एवं प्राचीन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
नं० 201/2017 इनवाजी सेडूराम बनभ विरुद्ध
की अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करते
है प्राचीन सेडूराम पुत्र श्रीमा जाति ब्राह्मण
निवासी शेखपुरा तहसील खिरकज जिला दौसा
द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज
किया जाता है निर्णय की प्रति अजिंठा कलक्टर
बाँदी मुई के निजकई जौने पत्रावली फेसल
शुमार की जाकर नम्बर से क्रम है एवं प्राद
पूर्व प्रविष्ट लेख अण्डार की जाते निर्णय
आज दिनांक 29-4-2024 में मेरे द्वारा खुले
न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनित्रा - नॉन ऑफिशियल)
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)